न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-11Ju2021-13Dhudaram etc Vs Lrs of Prabhuram etc

1. धुड़ाराम पुत्र श्री पीराराम
2. गोमी पुत्र श्री मूलाराम
3. कोजाराम पुत्र श्री गोविंदराम
4. चीमाराम पुत्र श्री गोविंदराम
5. टिपू पत्नी श्री गोविंदराम
6. राजूराम पुत्र श्री आदूराम
7. कानाराम पुत्र श्री आदूराम
8. नरसींगाराम पुत्र श्री आदूराम
9. भीयाराम पुत्र श्री आदूराम

10.मूलाराम पुत्र श्री पेमाराम फौत के कायम मुकामः -

10.1.गेनी पत्नी श्री मूलाराम
10.2.ताजाराम पुत्र श्री मूलाराम
10.3.रतनाराम पुत्र श्री मूलाराम
10.4.अणदाराम पुत्र श्री मूलाराम
10.5.भंवरी पुत्र श्री मूलाराम
10.6.कबू पुत्री श्री मूलाराम

11.गुलाराम पुत्र श्री रूपाराम
12.बगताराम पुत्र श्री रूपाराम
13.भैराराम पुत्र श्री दलाराम
14.खेमाराम पुत्र श्री दलाराम
15.रतनाराम पुत्र श्री देरामराम
16.राजूराम पुत्र श्री देरामराम
17.लिखमाराम पुत्र श्री देदाराम के कायम मुकामः -

17.1.मीरा पत्नी श्री लिखमाराम
17.2.खमुराम पुत्र श्री लिखमाराम
17.3.दुर्गाराम पुत्र श्री लिखमाराम
17.4.दीपाराम पुत्र श्री लिखमाराम
17.5.ओमाराम पुत्र श्री लिखमाराम
17.6.भमाराम पुत्र श्री लिखमाराम
17.7.लाछा पुत्र श्री लिखमाराम
17.8.बाली पुत्री श्री लिखमाराम
17.9.अणची पुत्री श्री लिखमाराम
17.10. गवरी पुत्री श्री लिखमाराम

18.भगाराम पुत्र श्री रामाराम
19.चूनाराम पुत्र श्री रामाराम
20.पदमाराम पुत्र श्री रामाराम
21.मगाराम पुत्र श्री रामाराम
22.भींयाराम पुत्र श्री तेजाराम
23.गोमदराम गोदपुत्र श्री उदाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

24.बिरमाराम पुत्र श्री तेजाराम
25.ताजाराम पुत्र श्री तेजाराम के कायम मुकामः -
25.1.मोहनी पत्नी ताजाराम
25.2.गोपाराम पुत्र श्री ताजाराम
25.3.हिम्मताराम पुत्र श्री ताजाराम
25.4.सुआ पुत्री श्री ताजाराम
26.हुकमाराम पुत्र श्री शम्भुराम
27.गोरखाराम पुत्र श्री शम्भुराम
28.गेनाराम पुत्र श्री शम्भुराम
29.शंकरराम पुत्र श्री शम्भुराम
30.मानाराम पुत्र श्री सांवलराम
31.किस्तुरराम पुत्र श्री सांवलराम
32.चम्पालाल पुत्र श्री गंगाराम
33.गुमानाराम पुत्र श्री गंगाराम
34.रिड़मलराम पुत्र श्री गंगाराम
35.अर्जुनराम पुत्र श्री गंगाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- बेरड़ों का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. प्रभूराम पुत्र भगवानाराम फौत के कायम मुकामः -
1.1. रामूराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट, निवासी- बेरड़ों का बास, तहसील औसियां जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 29 दिसंबर 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 154/2015 प्रभूराम के कायम मुकाम बनाम धुड़ाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवंबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 154/2015 प्रभूराम के कायम मुकाम बनाम धुड़ाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 28 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 383 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी एवं खसरा नं. 384 रकबा 84.10 बीघा मौजा बेरड़ो का बास, तहसील औसियां में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स की उक्त भूमि के उत्तर दिशा में चिपती खसरा नं. 382जो अप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी भूमि की है तथा आगे आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी के आवामगन का यही एक मात्र रास्ता है। नजरी नक्शे में मार्क ए से बी के अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये तथा मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2020 को स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 383 एवं 384 से कटाण रास्ता आने-जाने हेतु खसरा नं. 384/5 में सें होकर रास्ता चलता है तो इसी खसरे का हिस्सा है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण वैकल्पिक रास्ता आज दिन तक रहा है, इस कारण आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त योग्य है। खसरा नं. 384/5 के खातेदार द्वारा भी खसरा नं. 382 एवं 382/1 में सें रास्ता की मांग की है तथा नजरी नक्शे के अनुसार अपीलार्थीगण रास्ता देने के लिए तैयार है, ताकि एक ही खेत में सें अधिक रास्ते की भूमि का इस्तेमाल नहीं हो। उपरोक्त प्रार्थना पत्र संख्या 292/2016 अनवान कुम्भाराम बनाम धुड़ारम न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष लंबित है तथा अपीलार्थीगण अपने खेत में सें एक जगह रास्ता देने के लिए तैयार है तथा प्रत्यर्थी संख्या एक अपने ही पूर्व सहखातेदार के खेत खसरा नं. 384/5 में सें रास्ता प्राप्त कर अपीलार्थीगण के खेत में सें रास्ता का उपयोग कर सकता है। अपीलार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है, पत्रावली कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने हेतु लंबित चल रही थी तथा कायम मुकाम को नोटिस जारी किये बिना ही पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण ही अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य हैं। मौका फर्द तैयार करते समय अपीलार्थीगण को मौके पर नहीं बुलाया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा धारा 251-ए के प्रावधानों के तहत सहमति का भी प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण भी आलौल्य आदेश विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा जानबूझ कर अन्य पड़ौसी खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खेत में सें रास्ता नजदीक पड़ता है, इसके बावजूद भी मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा मामले को प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाकर प्रकरण संख्या 292/2016 की पत्रावली के साथ सहमति से निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य लघुतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.08.2016 के मुताबिक अपीलाधीन रास्ता विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

योग्य राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 06.08.2016 के मुताबिक मार्क ए से बी रास्ता निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलांट के खेत खसरा नं. 382 में सें रास्ते बाबत विचारण न्यायालय में अन्य प्रकरण संख्या 292/2016 अनवान कुंभाराम बनाम धुड़ाराम विचाराधीन है, जिसमें अपीलांट्स के खेत खसरा नं. 382 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 2 गट्ठा चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के जरिये खसरा नं. 382 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता दिया जाता है तो इस रास्ते तक पहुंच हेतु खसरा नं. 382 या खसरा नं. 384/5 से लघुतम में सें अधिक दूरी होगी जो चाहे गए रास्ते से लघुतम नहीं है। इन परिस्थितियों में हस्तगत प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 29 दिसंबर 2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर